न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सरमथुरा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारीः- श्री मौहम्मद ताहिर आर.ए.एस.

उनवान

रामचरन बनाम मायादेवी वगैरा

1. श्रामचरीन पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी ग्राम गुढा तहसील सरमथुरा

--वादी

बनाम

1. मायादेवी पत्नि गोरेलाल जाति मीना निवासी ग्राम गुढा तहसील सरमथुरा
2. भौरू पुत्र धनसुख जाति मीना निवासी ग्राम गुढा तहसील सरमथुरा
3. गेरेलाल पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी ग्राम गुढा तहसील सरमथुरा
4. भूरासिंह पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी ग्राम गुढा तहसील सरमथुरा
5. राजस्थान सरकार वहैसियत लैण्ड होल्डर तरतीवी प्रतिवादी तहसीलदार सरमथुरा

--प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

प्रकरण संख्याः- 16/2016

दिनांकः- 29.6.2018

निर्णय

दावा वादीगण इस प्रकार पेश हुआ कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 553 रकबा 2.82 हैक्टेयर किस्म वारानी सोयम वाके ग्राम गुढा तहसील सरमथुरा में स्थित है जिसमें वादी 1/2 हिस्से का व प्रतिवादीगण प्रत्येक मायादेवी, भौरू, गोरेलाल, भूरासिंह 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। इसी हैसियत से मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी के हिस्से की आराजी सभी प्रकार के ऋण भार से मुक्त है। विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से के मुताविक मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा फसल का लाभ प्राप्त कर रहे है।

वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अब वदी आ गयी है और अब शामिल काश्त करना संभव नहीं रहा है इसलिये वादी बिना बंटवारा कराये विवादित आराजी को किसी लट्ठ व चलाव वाले व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करने पर उतारू है और विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देता है और कहता है मैं विवादित आराजी को किसी लट्ठ व चलाव वाले व्यक्ति को विकय करूंगा और मैं काश्त नहीं करने दूंगा।

प्रतिवादीगण ने अपनी धमकी के मुताबिक विवादित आराजी को कहीं दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल कर दिया या अच्छे अच्छे-अच्छे हिस्से की आराजी पर कब्जा कर लिया या विवादित आराजी को किसी लट्ठ व चलाव वाले व्यक्ति को

विक्रयकर दिया या वादी को काश्त नहीं करने दिया तो वादी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति धन से संभव नहीं हो सकेगी।

प्रतिवादी की धमकी से वादी को यह लांजमी हो गया है कि वह विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स द्वारा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा कराकर खाता व लगान अलग-अलग कायम कराये व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करावे कि व वादी के हिस्से में आयी विवादित आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बैजा पैदा नहीं करे ना ही अन्य से करावें ना ही वादी को बल पूर्वक बेदखल ही करें।

दिनांक 16.5.16 को वादी अपने खेत पर गया तो प्रतिवादीगण कोटरी रख रहे थे। वादी ने उनसे मना किया तो वे झगडा करने पर उतारू हो गये। वस यही विनाएं मुखासमत खिलाफ प्रतिवादीगण पैदा हुई जो आज भी जारी है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि-

1. विविादित आराजी का बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य किया जावे व विवादित आराजी का बंटवारा बाई मीट्स व बाउण्ड्स द्वारा अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी कराकर अपने-अपने हिस्से का खाता व लगान पृथक से कायम करावें।
2. विवादग्रस्त आराजी में बंटवारे में आयी वादी के हिस्से की आराजी में प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के हिस्से प्रति.सं.1 को जरिये आदेश स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ पाबन्द किया जावे कि वह वादी के हिस्से में आई आराजी पर किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बैजा पैदा नहीं करे। ना ही अन्य से करावे। ना ही वादी के हिस्से की आराजी पर प्रतिवादीगण लट्ठ के बल पर कब्जा नहीं करें ना ही अन्य से करावें ना ही रहन वय करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील सम्मन अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का दावा डिक्री किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार सरमथुरा से कुर्रेजात प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार सरमथुरा से प्राप्त प्राप्त कुर्रेजात के अनुसार दावा डिक्री किये जाने में वादी पक्ष द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई। वादी पक्ष द्वारा दी गई सहमति एवं तहसीलदार, सरमथुरा से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवादीमण के नाम तदनुरूप रिकॉर्ड पटवार ग्राम गुढा पटवार मण्डल गुढा में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं -

1. रामचरन पुत्र अर्जुन कौम मीना सा.गुढा खातेदार

ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
553/1	1.41	वारानी सोयम	4.23
किता-1	1.41		

2. मायादेवी पत्नि गोरेलाल हि.1/2, गोरेलाल, भूरा पुत्रान रामस्वरूप हि.1/2 कौम मीना सा.गुढा खातेदार

ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
553/3	0.94	वारानी सोयम	2.82
किता–1	0.94		

3. भौरू पुत्र धनसुखा कौम मीना सा.गुढा

ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
553/2	0.47	वारानी सोयम	1.41
किता–1	0.47		

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम से शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.6.2018 को कोर्ट कैम्प में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उप जिला मजिस्ट्रेट
सरमथुरा